

न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड(म.प्र.)

(समक्ष:-मोहम्मद अज़हर)

विविध व्यवहार अपील क.18/16संस्थित दिनांक-22.08.16

1. अनिल कुमार पुत्र मुकुट सिंह आयु 19 साल,
2. कन्हैया उर्फ पंकज पुत्र मुकुट सिंह आयु 16 वर्ष
नाबालिग व सरपरस्त भाई अनिल कुमार पुत्र
मुकुट सिंह जाति ठाकुर भाई खुद निवासी ग्राम
नागौर परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
3. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी मुकुट सिंह आयु 38
साल जाति ठाकुर निवासी ग्राम नागौर परगना
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अपीलार्थी / वादीगणविरुद्ध

1. रोशनसिंह आयु 52 वर्ष
2. रंजीत सिंह आयु 50 वर्ष
3. बृजराज सिंह आयु 45 वर्ष समस्त जाति ठाकुर
निवासीगण ग्राम नागौर परगना गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0

..... प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण

अपीलार्थीगण द्वारा श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री सतेन्द्र तोमर अधिवक्ता।

(आ दे श)

(आज दिनांक 07.06.2017 को पारित)

1. यह विविध सिविल अपील आदेश 41 नियम 01 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 32ए/16 उनवान अनिल कुमार एवं अन्य बनाम रोशनसिंह एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के द्वारा प्रत्यर्थी/वादीगण का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त करते हुए वादीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है।
2. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलार्थीगण के यह

अभिवचन रहे हैं कि वादी क्रमांक 01 व 02 के पिता एवं वादी क्रमांक 03 के पति स्व० श्री मुकुट सिंह तोमर तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 आपस में सगे चार भाई होकर फूलसिंह के पुत्र हैं। फूलसिंह की मृत्यु दिनांक 01.10.14 के पूर्व मुकुटसिंह की दिनांक 18.12.07 को मृत्यु हो गई थी। वादपत्र के पैरा-01 में वर्णित भूमि स्थिति बांके मौजा नागौर परगना गोहद जिला भिण्ड पर फूलसिंह भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी दर्ज थे। उक्त भूमि फूलसिंह को अपने पिता से विरासत में प्राप्त होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति तथा सहदायिकी सम्पत्ति है। प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने फूलसिंह से साजिश करके मुकुट सिंह की दिनांक 18.12.07 को हत्या कर दी और वादी क्रमांक 01 व 02, 8-10 वर्षीय नासमझ बालक थे तथा वादी क्रमांक 03 सुनीता को बिना सूचना दिए मुकुटसिंह के शव का दाह संस्कार कर दिया।

3. वादी/अपीलर्थीगण के यह भी अभिवचन रहे हैं कि वादपत्र के पैरा-01 में वर्णित भूमि प्रकरण में विवादित है, जिसमें फूलसिंह के जीवनकाल में वादी क्रमांक 01 व 02 को 1/5 हिस्सा प्राप्त था तथा फूलसिंह की मृत्यु के पश्चात फूलसिंह के हिस्से 1/5 में से 1/4 हिस्सा वादी क्रमांक 01 व 02 का था, अपने पिता के हिस्से के अनुसार 1/5 हिस्सा प्राप्त करने के लिए सहदायिकी हकों प्राप्ति हेतु वादी क्रमांक 01 व 02 की नाबालिगी में उनकी मां सुनीता ने दीवानी वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। जिसका पुराना क्रमांक 15ए/08 एवं नया नंबर 34ए/08 ई0दी0 अंकित हुआ। प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने फूलसिंह के साथ मिलकर साजिश करके वादीगण के वादमित्र वादी क्रमांक 03 सुनीता द्वारा नियुक्त अभिभाषक को जानकारी दिए बिना गुमराह करके अन्य अभिभाषक के माध्यम से एक आवेदन राजीनामा प्रस्तुत करने बाबत एवं एक तथाकथित लिखित राजीनामा बिना दिनांक के तथा सुनीता को बिना समझाए पढ़ाए तथा बिना बताए न्यायालय से राजीनामे की स्वीकृति के बिना पेश कराया गया।

4. वादी/अपीलर्थीगण के यह भी अभिवचन रहे हैं कि उक्त राजीनामे के संबंध में वादमित्र सुनीता से कोई पूछताछ नहीं की गई और उसका कोई कथन राजीनामे के संबंध में नहीं लिया गया। नाबालिग वादीगण की ओर से भी राजीनामा करने की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है तथा प्रकरण

30.11.08 को लोकअदालत में रखा जाना उल्लेखित किया गया। उक्त राजीनामे की प्रार्थना में यह उल्लेख है कि सर्वे क्रमांक 894 रकवा 0.69 में से एक बीघा दस बिस्वा वादीगण की है जबकि वादीगण का हिस्सा एक बीघा दस बिस्वा से अधिक था। जिस पर न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से का रकवा भी प्रदान कर दिया गया जो कि गलत है। उक्त भूमि कुल रकवा 2.13 हैक्टे0 में से वादी क्रमांक 01 एवं 02 का हिस्सा 0.42 हैक्टे0 होता है, जबकि उक्त राजीनामे में बिलोनी मौजे की भूमि में कुल रकवा 0.30 हेक्टे0 देने का उल्लेख किया गया, जो कि नाबालिगों के हितों के विपरीत है। इस कारण से उक्त राजीनामे के आधार पर प्रदान की गई डिक्री शून्य एवं अवैध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। नाबालिगों की ओर से समझौते के संबंध में आदेश 32 नियम 07 जा0दी0 तथा आदेश 23 नियम 1(क) उपनियम 1 के अधीन स्वीकृति के आवेदन के साथ वादमित्र या संरक्षक का शपथपत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है और अभिभाषक का इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं हुआ है कि समझौता उसकी राय में अवयस्क के लाभ के लिए है।

5. वादी/अपीलर्थागण के यह भी अभिवचन रहे हैं कि इसी प्रकार फूलसिंह की स्मरण शक्ति चले जाने तथा उनके असमर्थ रहते उनकी इच्छा के विपरीत प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 के द्वारा वसीयतनामा दिनांक 19.02.14 लिखवाया गया। उक्त वसीयतनामा भी शून्यवत है, जिससे प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। वैसे भी फूलसिंह को अपने 1/5 हिस्से से अधिक भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त आधारों पर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.08, वसीयतनामा दिनांक 19.02.14 को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करने तथा विवादित भूमि में वादीगण को 1/4 हिस्से का स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता की प्रार्थना की गई। वादीगण की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा-151 जा0दी0 प्रस्तुत करते हुए, वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा कोई बाधा न करने तथा विवादित भूमि को अंतरित न करने एवं यथास्थिति बनाए रखे जाने की प्रार्थना की गई।

6. प्रत्यर्था/प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादीगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से

प्रत्युक्त किया गया तथा यह अभिवचन किए गए कि फूलसिंह को विवादित भूमि विरासत में प्राप्त नहीं हुई थी। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होकर, सहदायिकी की सम्पत्ति होकर पैतृक सम्पत्ति नहीं है। मुकुट सिंह की मृत्यु पर सुनीता को बुलाए जाने पर भी वह नहीं आई थी एवं वह मेहगांव में अपने मकान में निवास करती थी। प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने मुकुट सिंह की हत्या नहीं की है। विवादित सम्पत्ति फूलसिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति है, उक्त सम्पत्ति उन्होंने कय की थी। वादीगण ने जो वाद प्रस्तुत किया था, उसमें उभयपक्ष ने स्वेच्छया से अपने अभिभाषक की उपस्थिति में राजीनामा किया था। वादी क्रमांक 01 व 02 की सगी मां सुनीता के द्वारा बिना किसी दवाब के स्वेच्छया से उनके अभिभाषक की सहमति से तथा न्यायालय की स्वीकृति से राजीनामा किया है। फूलसिंह जब पूर्ण स्वस्थ थे, आखों से दिखाई देता था, कानों से सुनाई देता था, स्मरण शक्ति भी ठीक थी तब उन्होंने अपनी पूर्ण सहमति से रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया था। प्रतिवादीगण ने उनकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं किया। व्यवहार न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय दिनांक 30.11.08 अंतिम हो चुका है तथा रिसज्यूडीकेटा का प्रभाव रखता है। कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है। उक्त आधारों पर वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई। उनकी ओर से वादीगण के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा-151 जा0दी0 का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

7. प्रतिवादी क्रमांक 04 म0प्र0 शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। उसे विधिवत् तामील होने के बाद वह प्रकरण की कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं हुआ। उसके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया। उसकी ओर से कोई प्रतिवादपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 01.08.16 को पारित करते हुए यह मान्य किया है कि वादीगण ने फूलसिंह अथवा उनके पिता सरदार सिंह के स्वत्व की भूमि होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। विवादित भूमि फूलसिंह को उत्तराधिकार में प्राप्त होना अथवा पैतृक सम्पत्ति होना स्पष्ट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में फूलसिंह को सम्पत्ति अंतरण करने का अधिकार था और प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव में वसीयत कूटरचित नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार

वादी का विवादित भूमि पर प्रथम दृष्टया स्वत्व न मानते हुए प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में नहीं माना है और आवेदन निरस्त कर दिया गया है। जिसके विरुद्ध यह विविध अपील प्रस्तुत की गई है।

9. अपीलार्थी/वादीगण की ओर से अपने अपील मेमो तथा अंतिम तर्क में यह आधार लिए हैं कि आलोच्य आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। पूर्व में पारित की गई डिक्री को विधि विरुद्ध मान्य करते हुए भी वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की है। नाबालिगों का कोई संरक्षण नहीं किया गया है। वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध था। उसके बावजूद भी अस्थायी निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में जारी नहीं की गई है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए वादीगण का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा-151 जा10दी0 स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की गई है। जबकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया गया है कि विवादित भूमि फूलसिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, जिसका अंतरण करने का उन्हें अधिकार था। उनके द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में दिनांक 19.02.14 को किया गया वसीयतनाम विधि के अनुरूप है। पूर्व के वाद में उभयपक्ष की स्वेच्छा से राजीनामा हुआ, इस कारण उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.08 विधिवत है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य नहीं है। उक्त आधारों पर अपील निरस्त करते हुए विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 01.08.16 की पुष्टि किए जाने की प्रार्थना की गई है।

10. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से इस विविध अपील के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है :-

क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मूल व्यवहार वाद क्रमांक 32ए/16 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2016 स्थिर रखे जाने योग्य है अथवा उक्त आदेश अवैध, अशुद्ध, अनौचित्यपूर्ण होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

11. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के उक्त मूल व्यवहार वाद के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दस्तावेजों के अभाव में विवादित भूमि को फूलसिंह के पिता सरदार सिंह के स्वत्व की होना मान्य नहीं किया है। परंतु वहीं दिनांक 30.11.08 को राजीनामे के आधार पर घोषित निर्णय एवं डिकी के संबंध में यह मान्य किया है कि वादमित्र सुनीता का शपथपत्र पेश नहीं किया गया था और न ही प्लीडर का प्रमाणीकरण पेश किए जाने का उल्लेख है। आदेश दिनांक 29.11.08 और 30.11.08 में भी आदेश 32 नियम 07 जा0दी0 के अनुसार न्यायालय द्वारा वादमित्र को राजीनामा करने की इजाजत दिए जाने का स्पष्ट अभिलेखन नहीं है। अतः आदेश 32 नियम 07 जा0दी0 के अधीन अज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। अतः राजीनामे के अनुसार ऐसा करार जिसके आधार पर डिकी प्रदान की गई है, वह अवयस्क वादीगण पर बंधनकारी नहीं रहती है। अतः आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अतः राजीनामा वादीगण पर बंधनकारी नहीं है। स्पष्ट है कि इस निष्कर्ष या अभिमत के संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण क्रमांक 01 लगायत 03 के द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 01.08.16 के संबंध में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।

12. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 01.08.16 के पैरा-12 में यह मान्य किया है कि पूर्व में राजीनामा वैध रूप से नहीं किया है। परंतु यह माना है कि विवादित सम्पत्ति फूलसिंह की पैतृक सम्पत्ति नहीं है।

13. इस मामले में वादीगण की ओर से यह अभिवचन नहीं किया गया है कि वे अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं या विवादित भूमि पर उनका कब्जा है। भूमि पैतृक होने के संबंध में कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। परंतु विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मान्य किया गया है कि प्रथम दृष्टि में पूर्व में किया गया राजीनामा वैध रूप से नहीं किया गया है और वादीगण पर बंधनकारी नहीं है। वादीगण के द्वारा स्वयं ही यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि सहस्वामित्व की भूमि होकर पैतृक सम्पत्ति है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सहस्वामित्व की भूमि के संबंध में एक सहस्वामी के पक्ष में दूसरे सहस्वामी

के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित भूमि में वादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप न करने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न करते हुए कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश किसी विधिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है। अतः उक्त आदेश की पुष्टि की जाती है।

14. परंतु मामले की संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रकट होता है कि यदि इस मूल मूल व्यवहार वाद के अंतिम निराकरण पर राजीनामा दिनांक 30.11.2008 वैध होना नहीं पाया जाता है और सम्पत्ति फूलसिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति होना पाई जाती है तब फूलसिंह की मृत्यु वर्ष 2014 में हो जाने से वादी क्रमांक 01 व 02 के स्वत्व विवादित भूमि में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वाद के लंबित रहने के दौरान विवादित भूमि या उसका कोई हिस्सा अन्यत्र विक्रय या अंतरित कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर वाद में और पैचीदगी बढ़ेगी और वाद बाहुल्यता बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि राजीनामा सही होना पाया जाता है और इस दौरान भूमि का विक्रय या अंतरण नहीं किया जाता है तक प्रतिवादीगण को कोई हानि नहीं है।

15. ऐसी स्थिति में इस बिन्दु पर वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला होना प्रकट होता है तथा सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तिनीय क्षति के बिन्दु भी उसकी पक्ष में होना प्रकट होते हैं। न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह उचित होगा कि उभयपक्ष को ही विवादित भूमि को अन्य विक्रय करने या अंतरित करने से रोक दिया जाए। अतः इस बिन्दु पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया गया आदेश त्रुटिपूर्ण है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादीगण को विवादित भूमि को अन्यत्र विक्रय या अंतरित किए जाने से रोके जाने का आदेश न देकर वैधानिक त्रुटि कारित की गई है। इस कारण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 01.08.16 इस सीमा तक हस्तक्षेप किए जाने योग्य है।

16. अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 01.08.16 विक्रय या अंतरित करने से रोके जाने का आदेश दिए जाने के संबंध में अपास्त किया जाता

है। अपीलार्थी/वादीगण का आवेदक अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा-151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

17. आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित भूमि स्थित बांके मौजा नागौर परगना गोहद जिला भिण्ड के सर्वे क्रमांक 279 रकवा 0.45, 301 रकवा 0.06, 610 रकवा 0.07, 662 रकवा 0.06, 708 रकवा 0.07, 709 रकवा 0.02, 711 रकवा 0.01, 713 रकवा 0.01, 721 रकवा 0.01, 1223/1005 रकवा 0.52 कुल किता 10 कुल रकवा 1.28 हैक्टे0 एवं सर्वे क्रमांक 611 रकवा 0.36 हैक्टे के हिस्से 1/2 तथा बांके मौजा बिलोनी परगना गोहद के सर्वे क्रमांक 894 रकवा 0.69 हैक्टे0 को या उसके किसी हिस्से को अन्यत्र विक्रय या अंतरित या अन्यथा व्ययन न करे तथा भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखे। इस आदेश का प्रभाव आगामी आठ माह तक अथवा प्रकरण के निराकरण तक, जो भी कम हो, रहेगा।

18. इस दौरान उभयपक्ष अपनी-अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर मूल व्यवहार वाद का शीघ्र निराकरण करावे।

19. उभयपक्ष इस अपील का व्यय अपना-अपना वहन करेंगे।

आदेश न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड